हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0 स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–41/2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थपित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

————————

2009 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में ''ग्यारह हजार और दस हजार'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''अट्ठारह हजार और सत्रह हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जोकि मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1), में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री।

शिमला.....

दिनांक..... अगस्त, 2009.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 3.60 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्या पी0ए0 (4) (डी)20/2007]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2009 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख–सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का संख्यांक 1) के उपबन्धों के उद्धरण।

7. वेतन और भत्ते.––मुख्य संसदीय सचिव प्रति मास ग्यारह हजार रुपये वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जबकि संसदीय सचिव प्रति मास दस हजार रुपये वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, संसदीय सचिव ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी सदस्यों को अनुज्ञेय हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2009.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 for the figures and signs "11,000/-" and "10,000/-", the figures and signs "18,000/-" and "17,00/-" shall respectively be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which Hon'ble Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries. This has neccessitated the amendments in the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :

The……August, 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 3.60 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-PA (4) (D)-20/87]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Bill, 2009, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL

7. Salaries and allowances.—A Chief Parliamentary Secretary shall be entitled to the salary of **Rs. 11,000/-** per month, while a Parliamentary Secretary shall be entitled to a salary of **Rs. 10,000/-** per month. In addition, the Parliamentary Secretary shall be entitled to compensatory allowance and other perquisites as are admissible to the members.